रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 2010/आश्विन 19, 1932
No. 273] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 2010/ASVINA 19, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2010

अंतिम जांच परिणाम (निर्णायक समीक्षा)

विषय : अमरीका तथा यूरोपीय संघ से माइका पर्ल पिगमेन्ट के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की निर्णायक समीक्षा।

फा. सं. 15/5/2009-डीजीएडी.—यत: निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 14/22/2003-डीजीएडी द्वारा अमरीका तथा यूरोपीय संघ (जिन्हें एतद्पश्चात सम्बद्ध देश कहा जाएगा) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित माइका पर्ल पिगमेन्ट के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है और यह निश्चयात्मक शुल्क भारत सरकार द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2005 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 30/2005 के अनुसार लगाया गया था।

ख. पृष्ठभूमि तथा प्रक्रिया

2. यत: 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के संदर्भ में यदि लगयाा गया पाटनरोधी शुल्क पहले ही समाप्त न किया जाए तो वह उसे लागू करने की तारीख से पाँच वर्ष के बाद स्वत: समाप्त हो जाता है।

3. और यत: पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के 4 वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 4 मई, 2009 तथा 21 अगस्त, 2009 को घरेलू उद्योग को सतर्क करते हुए इस आशय के पत्र भेजे गए थे कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि क्या इस मामले में पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से पाटन एवं क्षति जारी रहेगी अथवा उनकी पुनरावृत्ति होगी, सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 9क(5) के अंतर्गत निर्णायक समीक्षा करने पर विचार कर रहे हैं और घरेलू उद्योग से संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और पाटन से संबंधित साक्ष्य, यदि कोई हो, तथा इस मामले में पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूर्ण जानकारी देने का अनुरोध किया गया था।

4. और यतः मै. सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि.; 162, संगम ब्रिज, डॉ. अम्बेडकर रोड (वेसली रोड), पुणे- 411001, जो दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 के मूल जाँच परिणाम में घरेलू उद्योग थे, ने निर्धारित समय के भीतर निर्णायक समीक्षा हेतु विधिवत प्रमाणित याचिका दायर नहीं की थी ।

और यह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 01.11.2007 के निर्णय के अनुसार रिट याचिका (सिविल) सं. 16893/03 में यह कहा है कि

" (क) निर्णायक समीक्षा अनिवार्य है ।
(ख) निर्णायक समीक्षा, नियम के नियम 23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जानी अपेक्षित है । "

5. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी ने शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन जन. गण., जापान, अमरीका तथा यूरोपीय संघ के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित माइका पर्ल पिगमेन्ट के आयातों पर पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की जाँच करते हुए 15 अक्तूबर, 2009 को इस निर्णायक समीक्षा की शुरूआत की थी । बाद में दिनांक 20 नवम्बर, 2009 को एक शुद्धि-पत्र जारी किया गया था जिसमें उक्त जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के पैरा 4 को संशोधित किया गया था ताकि चीन जन. गण. और जापान के संबंध में सभी संदर्भों को हटाया जा सके क्योंकि मूल जाँचों के दौरान इन देशों हेतु किसी शुल्क की न तो सिफारिश की गई थी और न ही उन्हें लागू किया गया था ।

6. समीक्षा में दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. 14/22/2003-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया था ।

7. वर्तमान निर्णायक समीक्षा में शामिल क्षेत्र/देश अमरीका तथा यूरोपीय संघ हैं (जिन्हें एतद्पश्चात संबद्ध देश भी कहा जाएगा) ।

जाँच शुरूआत के पश्चात निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

(i) नियम 6(2) के अनुसार जाँच शुरू करने के संबंध में भारत में स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों/प्रतिनिधियों को सूचित किया गया था और निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह देने का अनुरोध किया गया है ।

(ii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 01.04.2008 से 31.03.2009 है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 की अवधि तथा जाँच अवधि शामिल होगी ।

(iii) निर्यातक प्रश्नावली के साथ जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति, संगत सूचना प्राप्त करने हेतु नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को भेजी गई थी :

(क) एकार्ट जीएमबीएच एण्ड कं. केजी कैसर स्ट्रास, जर्मनी
(ख) मर्क केजीएए, जर्मनी
(ग) एकार्ट अमेरिका एल.पी. न्यू जर्सी, अमरीका
(घ) मर्क एण्ड कं. इंक, अमरीका
(ड.) बीएएसएफ कॉर्पोरेशन, अमरीका

किसी भी ऊपर उल्लिखित निर्यातक/उत्पादक अथवा मै. बीएएसएफ कॉर्पोरेशन, यूएसए की ओर से मै. बीएएसएफ इंडिया के अतिरिक्त संबद्ध देशों के अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली तथा उपर्युक्त अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है ।

(iv) नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मँगवाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/उपभोक्ताओं को जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना तथा आयातक प्रश्नावली भेजी गई थी ।

(क) मै. इंडिया डायकेम, नई दिल्ली
(ख) मै. लक्ष्मी सेल्स कॉर्प, नई दिल्ली
(ग) मै. प्रकाश डायकेम, नई दिल्ली
(घ) मै. पार्थ केम, मुम्बई
(ड.) प्लास्टिब्लेन्ड्स इंडिया लि., मुम्बई
(च) असदनान सन्स, मुम्बई

मै. प्रकाश डायकेम तथा मै. ऑल इंडि प्रिंटिंग इंक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीआईएमए) के अतिरिक्त किसी भी अन्य आयातक/उपयोक्ता ने उपर्युक्त अधिसूचना के संबंध में उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है ।

(vi) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर को एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

(vii) मै. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लि., पुणे ने जाँच शुरूआत संबंधी नोटिस का उत्तर दिया और प्राधिकारी से निर्णायक समीक्षा जाँच करने और पाटनरोधी शुल्क को अधिक समय के लिए लागू करने की सिफारिश करने का अनुरोध किया । चूँकि मै. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लि., पुणे ने पाटनरोधी शुल्क को और अधिक समय के लिए लागू करने का अनुरोध किया है अतः प्राधिकारी ने इस कंपनी को वर्तमान मामले में " याचिकाकर्ता " माना है । यह नोट किया गया है कि मै. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लि., पुणे को मूल जाँचों में भी घरेलू उद्योग माना गया था ।

(viii) मै. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लि., पुणे ने घरेलू उद्योग होने का दावा किया और क्षति संबंधी सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए । प्राधिकारी ने उठाई गई क्षति और पूर्व में लगाए गए पाटनरोधी

शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जाँच करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का सत्यापन किया है ।

(ix) नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने दिनांक 1 जून, 2010 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई में सभी हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया । जिन पक्षों ने सार्वजनिक सुनवाई के दौरान अपने विचार प्रस्तुत किए, उन्हें मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित स्वरूप में प्रस्तुत करने की सलाह दी गई । लिखित निवेदनों तथा हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रत्युत्तरों पर अंतिम जाँच परिणाम हेतु विचार किया गया है ।

(x) प्राधिकारी ने वर्तमान जाँच हेतु संगत सीमा तक विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त सभी विचारों तथा निवेदनों पर विचार किया है ।

(xi) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जाँच, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संदर्भ में की गई थी । संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहाँ भी आवश्यक हो, गोपनीयता का अधिकार प्रदान किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों पर प्रकट नहीं किया गया है । जिन पक्षकारों ने गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराई है, उन्हें जहाँ भी आवश्यक हो गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ।

(xii) यदि किसी हितबद्ध पक्षकार ने आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जाँच में अत्यधिक बाधा डाली है तो उस स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज किए हैं ।

(xiii) इस अधिसूचना में *** ने गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना प्रस्तुत की है और नियम के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा यही माना गया है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद तथा समान वस्तु

8. मूल जाँच के अंतिम जाँच परिणाम में प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को " ऑटोमोटिव तथा कॉस्मेटिक ग्रेड को शामिल न करते हुए माइका पर्ल पिगमेन्ट " के रूप में परिभाषित किया है । वर्तमान जाँच एक निर्णायक समीक्षा है और विचाराधीन उत्पाद, मूल जाँच में परिभाषित " ऑटोमोटिव तथा कॉस्मेटिक ग्रेड को शामिल न करते हुए माइका पर्ल पिगमेन्ट " (जिसे एतद्पश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) उत्पाद ही है ।

9. घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है कि विचाराधीन संबद्ध उत्पाद, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के समान वस्तु है ।

घ. जाँच शुरूआत, समीक्षा, स्थिति एवं घरेलू उद्योग

10. इस मामले में जाँच शुरूआत तथा स्थिति एवं घरेलू उद्योग के संबंध में कोई विवाद नहीं है । जाँच के पश्चात प्राधिकारी ने कहा है कि मै. सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्रीज लि., जो संबद्ध निर्णायक समीक्षा में याचिकाकर्ता भी है, देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ पाटनरोधी नियम के नियम 2(ख) के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग हैं ।

ड. विभिन्न निर्यातकों एवं आयातकों के निवेदन

11. उत्तर देने वाले उत्पादक एवं निर्यातक मै. बीएएसएफ कॉर्पोरेशन (बीएएसएफ) ने अपने उत्तर में इस तथ्य के संबंध में कि उनके द्वारा निर्यातित घरेलू समान उत्पाद के सभी ग्रेडों का विनिर्माण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जाता है, निवेदन प्रस्तुत किए हैं । इसके अलावा, यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रभावी पिगमेन्ट के प्रत्येक रेंज की कीमत प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के आधार पर अलग-अलग होती है और निर्यातक, ग्राहक खण्ड जो बीएएसएफ के साथ व्यापार की मात्रा आकार तथा विशिष्ट उत्पादों की मात्रा के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है, के आधार पर अपने ग्राहकों को कीमत बताते हैं । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि याचिकाकर्ता की कीमतें बीएएसएफ कीमतों से कम होती है । उत्तर देने वाले निर्यातक बीएएसएफ ने भी निवेदन किया है कि माइका का चुनाव और उसको तैयार करना; अंतिम पर्ल सेंट पिगमेंट की गुणवत्ता का निर्धारण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण् कदम है । उत्पादक तथा निर्यातक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयात से क्षति नहीं हो सकती है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जाँच अवधि के दौरान लगभग सभी क्षति कारकों में सुधार प्रदर्शित किया है तथा इन देशों (अमरीका एवं यूरोपीय संघ) से आयात की प्रवृत्ति भी मामूली और नगण्य है ।

12. मै. प्रकाश डाय केम जो संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं, ने विचाराधीन उत्पाद, समान वस्तु तथा संबद्ध वस्तुओं के सभी ग्रेड उपलब्ध करा पाने की घरेलू उद्योग की अक्षमता के बारे में निर्यातक मै. बीएएसएफ द्वारा प्रस्तुत विचारों का समर्थन किया है । उनहोंने यह भी निवेदन किया है कि उनके द्वारा आयातित माइका पर्ल पिगमेन्ट्स वाणिज्यिक एवं तकनीकी रूप से प्रतिस्थापनीय नहीं है और ये विभिन्न उत्पाद हैं, समान वस्तु नहीं । उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा आयातित संबद्ध वस्तुओं की बिक्री कीमतें घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित माइका पर्ल पिगमेन्ट्स की बिक्री कीमतों से काफी अधिक हैं ।

13. संबद्ध वस्तुओं के एक अन्य आयातक और उपयोक्ता मै. ऑल इंडिया प्रिंटिंग इंक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीआईएमए) ने भी निर्यातक एवं आयातक द्वारा उत्पाद रेंज के संबंध में पूर्ववर्ती पैराग्राफ में उल्लिखित निवदेनों का समर्थन किया है । उन्होंने इस तथ्य की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकृष्ट किया है कि घरेलू उद्योग के पास विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु सही गुणवत्ता वाले उत्पाद का चयन करने के लिए संबद्ध वस्तु की व्यापक रेंज उपलब्ध नहीं है ।

14. उपर्युक्त सभी तीन पक्षकारों ने प्राधिकारी से जाँच समाप्त करने का अनुरोध किया था ।

च. घरेलू द्वारा किए गए निवेदन

15. घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि निर्यातक के उत्तर में अनेक कमियाँ हैं और अतः उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि मै. बीएएसएफ तथा एमईआरसीके की विनिर्माण सुविधाएँ अमरीका, यूरोप तथा चीन में है और जब से पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है, उन्होंने अपने निर्यात का स्रोत परिवर्तित कर लिया है और वर्तमान निर्यात चीन जन. गण. से किए जा रहे हैं । उन्होंने यह भी कहा है कि चूँकि चीन से निर्यात भी पाटित कीमतों पर किए जा रहे हैं; अतः वे चीनी मूल के उत्पाद के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक याचिका दायर कर रहे हैं । एक बार चीन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित कर दिए जाने के बाद यूरोप/अमरीका से निर्यात पुनः शुरू किए जाएँगे और इसलिए पाटन की संभावना, स्पष्ट रूप से बन जाती है ।

16. संबद्ध मामले की याचिका में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने के पश्चात संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन और क्षति के जारी रहेगी अथवा उसकी पुनरावृत्ति होगी । घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता अपनी क्षमता बढ़ा रहा है । तथापि, चीन जन. गण. पर शुल्क लगाए जाने की स्थिति में चीन जन. गण. से पाटन तथा यूरोप/अमरीका से पाटन होने की संभावना से याचिकाकर्ता की विस्तार संबंधी योजना के त्वरित कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है । उन्होंने गुणवत्ता एवं विनिर्दिष्ट मानकों के संबंध में आयातकों एवं निर्यातकों द्वारा किए गए दावों पर प्रश्न उठाया है और आगे यह निवेदन किया है कि वे संबद्ध वस्तुओं की व्यापक रेंज की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों सहित बड़ी संख्या में ग्राहकों को करते रहे हैं । घरेलू उद्योग को क्षति के संबंध में, उन्होंने यह कहा है कि घरेलू उद्योग की स्थिति कमजोर है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में उसको क्षति पहुँचने की संभावना है ।

छ. परवर्ती घटनाक्रम

दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को घरेलू उद्योग मै. सुदर्शन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लि. द्वारा किए गए निवेदन

17. दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को घरेलू उद्योग की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है । संबद्ध पत्र में उन्होंने कहा है कि चीन जन. गण. से रिपोर्ट किए जा रहे आयातों के कारण वर्तमान में वे गंभीर क्षति झेल रहे हैं । इस तथ्य के मद्देनजर उन्होंने यूरोप एवं अमरीका से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्कों की समयावधि को बढ़ाने हेतु प्रस्तुत याचिका को वापस लेने की माँग की है और साथ ही विदेशी उत्पादकों द्वारा पुनः पाटन किए जाने के मामले में उचित समयावधि के भीतर पुनः आवेदन करने की सुविधा हेतु आग्रह किया है ।

ज. निष्कर्ष एवं सिफारिशें

18. संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की समीक्षा हेतु आवेदन वापस लेने का अनुरोध करते हुए घरेलू उद्योग के आवेदन के आधार पर प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और इसलिए प्राधिकारी दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 के अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 14/22/2003-डीजीएडी के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित कॉस्मेटिक तथा ऑटोमोटिव ग्रेड को छोड़कर माइका पर्ल पिगमेन्ट्स पर अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क को आगे ज़ारी न रखने की सिफारिश करते हैं ।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2010

Final Findings (Sunset Review)

Subject: - Sunset Review of Anti-Dumping investigations concerning imports of Mica Pearl Pigment from USA & European Union.

F. No. 15/5/2009-DGAD.—Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of definitive Anti Dumping Duty on imports of Mica Pearl Pigments originating in or exported from USA & European Union (hereinafter referred to as subject countries), vide Notification No. 14/22/2003-DGAD dated 22 December, 2004 and such definitive duty was imposed by the Govt. of India vide Customs Notification No. 30/2005 dated 21 March, 2005.

B. BACKGROUND AND PROCEDURE

2. WHEREAS in terms of the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 the Anti Dumping Duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty.

3. AND WHEREAS following the completion of 4 years of the anti dumping duty imposed, alert letters dated 4 May,2009 and 21 August,2009 were sent to the domestic industry stating that the Designated Authority is contemplating to undertake Sunset Review under Section 9A(5) of Customs Act with a view to ascertain whether the cessation of the anti dumping duty in this case is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury and they were requested to give full information regarding extent of imports from subject countries and evidence relating to dumping, if any, and impact of cessation of the anti dumping duty in this case.

4. AND WHEREAS M/s. Sudarshan Chemical Industries Ltd., 162, Sangam Brdige Dr. Ambedkar Road, (Wellesley Road), Pune – 411001,who was the domestic industry in the original Final Findings dated 22nd December, 2004 did not file duly substantiated petition for Sunset Review within the stipulated time.

And whereas the Hon'ble High Court of Delhi in Writ Petition (Civil) No. 16893/06 vide Judgment dated 1.11.2007 has held that

"(a) Sunset Review is mandatory

(b) Sunset Review is required to be conducted in accordance with the procedure laid down in Rule 23 of the Rules"

5. Pursuant to the above said Order of the Hon'ble High Court of Delhi, the Authority initiated this sunset Review investigation on 15th October 2009 to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury on imports of Mica Pearl Pigment originating in or exported from China PR, Japan, USA & European Union on the event of cessation of the duty. A corrigendum was later issued on 20th November 2009 wherein para no 4 of the said initiation notification was modified so that all references to China PR and Japan stand deleted as no duty was recommended and imposed on these countries during original investigations.

6. The review covered all aspects of notification No. 14/22/2003-DGAD dated 22nd December, 2004.

7. The territories/countries involved in the present Sunset Review are USA & European Union. (referred to also as subject countries hereinafter).

Following the initiation, following procedure has been followed:

i). The Embassies/Representatives of the subject countries in India were informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2), with a request to advise the exporters/producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time.

ii). The Period of Investigation for the purpose of the present review is from 01.04.2008 to 31.03.2009. However, injury analysis shall cover the period 2005-06, 2006-07, 2007-08 and POI.

iii). A copy of initiation notification along with exporters' questionnaire were sent to the following known exporters from subject countries in accordance with the rule 6(4) to elicit relevant information:

(a) Eckart GMBH & Co. KG. Kaiserstrasse, Germany

(b) Merck KGaA, Germany

(c) Eckart America L.P., New Jerse, USA

(d) Merck & Co. Inc., USA

(e) BASF Corporation, USA

None of the above-mentioned exporters/producers or other producers/exporters from subject countries except M/s BASF India on behalf of M/s BASF Corporation USA have filed any response to the questionnaire and in response to the above notification.

iv) Initiation notification and importers questionnaire were sent to the following known importers/consumers of the subject goods in India calling for the necessary information in accordance with Rule 6(4).

(a) M/s India Dyechem, New Delhi

(b) M/s Lakshmi Sales Corp., New Delhi
(c) M/s Prakash Dye Chem, New Delhi
(d) M/s Parth Chem, Mumbai
(e) Plastiblends India Ltd., Mumbai
(f) Asadnad Sons, Mumbai

None of importers/users except M/s Parakash Dye Chem and M/s All India Printing Ink. Manufacturer's Association (AIPIMA) have filed response to the above notification.

vi) The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file maintained by the authority and kept open for inspection by the interested parties.

vii) M/s Sudarshan Chemical Industries Ltd, Pune responded to the notice of initiation and requested the Authority to conduct sunset review investigation and recommend extension of anti-dumping duty. Since M/s Sudarshan Chemical Industries Ltd, Pune has requested for the extension of anti- dumping duty, the Authority has treated the company as the "petitioner" in the present case. It is noted that M/s Sudarshan Chemical Ind. Ltd, Pune was treated as domestic industry in the original investigations.

viii) M/s Sudarshan Chemcal Ind. Ltd, Pune claimed itself as the domestic industry and submitted the injury information/data. The Authority verified the information furnished by the petitioner to the extent possible to examine the injury suffered and the need for continuation of the Anti dumping duty imposed earlier.

ix) In accordance with Rule 6(6), the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 1st June 2010. The parties, who presented their views in the public hearing, were advised to file written submissions of the views expressed orally. The written submissions as well as rejoinders received from the interested parties have been considered in the final findings.

x) The Authority has considered all the views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.

xi) Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has granted confidentiality, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever necessary, parties who have provided the information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

xii) Whenever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigations, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.

xiii) *** in this notification represents the information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the authority under the Rules

C. Product under Consideration and Like Article

8. In the original investigations in the final findings, the Authority had defined product under consideration as "Mica Pearl Pigment excluding automotive and cosmetic grades. The present investigation is a Sunset Review and the product under consideration remains the same as has been defined in the original investigation which is "Mica Pearl Pigment excluding automotive and cosmetic grades" (herein after also referred to as subject goods).

9. It has been claimed by the domestic industry that the subject goods under consideration are like articles to the goods originating in or exported from the subject countries.

D. Initiation, review, standing and domestic industry

10. There are no arguments with regards to initiation as well as standing and domestic industry in this case. After examination, the authority holds that M/S Sudharshan Chemical Industries Limited who is also the petitioner in the subject sunset review, constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the anti-dumping rules having accounted for a major proportion of the production of the subject goods in the country.

E. Submissions of various exporters and importers

11. In their response, responding producer and exporter M/s BASF Corporation (BASF) has made submissions with regard to the fact that not all the grades of the domestic like product exported by them are being manufactured by the domestic industry. Further, it was also added that every range of effect pigments has different pricing based on the process technology and exporters quote prices to their customers depending on customer segmentation which is directly linked with size of the business with BASF and volumes of the specific products. It has also been submitted by them that petitioner's prices are lower than BASF prices. The responding exporter BASF has also submitted that selection and preparation of Mica are the most important steps in determining the quality of final pearl scent pigments. It has been submitted by the producer and exporter that import of subject goods from the subject countries can not cause injury because the domestic industry has shown marked improvement during POI in almost all the injury factors and also the trend of import from these countries (USA & European Union) is insignificant and immaterial.

12. M/s Parkash Dye Chem an importer of the subject goods has supported the views submitted by the exporter M/s BASF with regard to product under consideration, like article and inability of domestic industry to provide all the grades of the subject goods. They have also added that mica pearl pigments imported by them are not substitutable commercially and technically and these are different products and not the like article. They have also added that sale prices of subject goods imported by them are much higher than the selling prices of mica pearl pigment produced by domestic industry.

13. Another importer and user of subject good M/s All India Printing Ink Manufacturer's Association (AIPIMA) has also echoed the submissions made by the exporter and the

importer as mentioned in the earlier paragraph with regards to the product range. They had drawn the attention of the Authority to the fact that the domestic industry can not provide wide range of subject goods to choose the right quality for variety of applications.

14. All the aforesaid three parties have requested the authority to terminate the investigation.

F. Submissions made by domestic industry

15. The domestic industry has submitted that exporters' response is grossly deficient and hence should not be accepted. They have highlighted the fact that M/s BASF and MERCK have manufacturing facility in US, Europe and China and ever since the anti dumping duty have been imposed, they have shifted their source of export and the current exports are being made from China PR. They have added that since Chinese exports are also at dumped prices and they are filing a petition for imposition of anti-dumping duties on imports of the product originating in China. Once anti-dumping duties are imposed on imports from China, the exports would once again start from Europe/US and therefore the likelihood of dumping is therefore, clearly established.

16. In the petition in the subject case, the domestic industry has claimed dumping of subject goods from subject countries and continuation and likelihood of continuation of injury once the anti-dumping duty is revoked. It has been further added by domestic industry that the petitioner has been increasing his capacity. However, dumping from China PR and the possibility of dumping from Europe/US once the duty is imposed on China PR is preventing the petitioner from moving expeditiously with the expansion plans. They have disputed the claims made by importers and exporters with regard to quality and specification standards and has further submitted that they have been supplying the subject goods in a wide range to a large number of customers including some international companies. With regard to the injury to the domestic industry, they have added that the situation of domestic industry is fragile and are likely to suffer injury in case of revocation of anti-dumping duties

G. Subsequent developments

Submission made by Domestic Industry M/s Sudharshan Chemicals Industries Limited on 24th September, 2010

17. A letter has been received from the domestic industry on 24th September, 2010. In the subject letter, they have stated that they are at present facing significant injury because of imports being reported from China PR. In view of this fact, they have sought withdrawal of their petition for extension of current anti-dumping duties on imports from Europe & USA with a liberty to reapply in due course in case the foreign producers once again start resorting to dumping.

H. Conclusions and Recommendations

18. On the basis of the application made by the domestic industry requesting withdrawal of the application for review of imposition of anti-dumping duty on subject goods from subject countries, the Authority concludes that there is no justification for the continued imposition of the anti-dumping duty and therefore the Authority recommends discontinuation of anti dumping duty on Mica Pearl Pigments excluding cosmetic and automotive grade originating in or exported form subject countries as recommended by the Designated Authority in final findings vide Notification No.14/22/2003-DGAD dated 22nd December, 2004 and imposed by Customs as per Notification No. 30/2005 dated 21.3.2005.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.